न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 532/2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. राकेश कुमार
2. सुरेश कुमार

पि0 बलराम जाति रामरत विश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र गोपालराम जाति विश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रेणु पत्नी अशोक कुमार पुत्री बलराम जाति विश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री परविन्द्र सिंह –वकील वादीगण
2. श्री कैलाश सिंवल –वकील प्रति.सं. 1ता2

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2024

वादीगण राकेश कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बावत् घोषणा के तहत दिनांक 04.09.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की सगी बहिन है। प्रतिवादी सं. 1 बलराम के नाम से चक नं. 5 आई.डी.जी. जं.सं. 2072–75 जं.सं. 2078 के स्थाई खाता सं. 98/51 में 705/8792 हिस्साा यानि 1.410 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादीगण का हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा अनुसार वादीगण को 1.012 है. कृषि भूमि ब.हिब. प्राप्त हुई है तथा वादी सं. 1 को 0.398 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण चक नं. 5 आई.डी.जी. जं.सं. 2072–75 जमाबन्दी 2078 से स्थाई के खाता सं. 98/51 में 1.012 है. ब.हि.ब. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की सगी बहिन है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सं. [illegible] हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक वा हिस्सा की कृषि भूमि का परित्[illegible] वादीगण के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 2 वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही रखना चाहती है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 2 के हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन बंटवारानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि नही होने से वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:34 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 और वादीगण के एक संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण तथा प्रतिवादी से. 3 को भूधारक होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 3 से कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवा देंवे। कई बार अनुनय विनय करने पर पहले तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल कहकर टालते रहे लेकिन गत सप्ताह प्रतिवादीगण ने ऐसा करवाने से पूर्णतया इनकार कर दिया है। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 5 आई.डी.जी. खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी सं. 1 राकेश कुमार का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 5 आई.डी.जी. खाता सं. 98/51 जं.सं. 2072–75 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता बलराम के नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक आराजी है। प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। अभिभाषक वादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। न्यायालय के मत में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 बलराम के नाम से चक नं. 5 आई.डी.जी. जं.सं. 2072–75 जं.सं. 2078 वर्ष (2022) के स्थाई खाता सं. 98/51 में 705/8792 हिस्सा यानि 1.410 है. में से वादीगण राकेश कुमार व सुरेश कुमार को 1.012 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्कार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 बलराम का हिस्सा 0.398 है. किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। [illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने [illegible] से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान [illegible] वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 532 / 2024

1. राकेश कुमार
2. सुरेश कुमार

पि0 बलराम जाति समस्त बिश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रेणु पत्नी अशोक कुमार पुत्री बलराम जाति बिश्नोई निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 23.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि कि प्रतिवादी सं. 1 बलराम के नाम से चक नं. 5 आई.डी.जी. जं.सं. 2072–75 जं.सं. 2078 वर्ष (2022) के स्थाई खाता सं. 98 / 51 में 705 / 8792 हिस्सा यानि 1.410 है. में से वादीगण राकेश कुमार व सुरेश कुमार को 1.012 है. कृषि भूमि का ब.हि.ब. खातेदार काश्कार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 बलराम का हिस्सा 0.398 है. किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

निज....X....निल.....X.मुब्लिक.......X.निल...X.....बाबत.....X....निल.....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत के आज 23.12.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:34 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया